तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व 09 धारा 151 जा.दी० पर बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे प्रा०पत्र O22 R04 व 09 धारा 151 जा.दी० के आदेश हेतु नियत दिनांक 26.7.24 को पेश हो।	
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र O.22 R.4 व 9 व धारा 151 जा०दी० पर बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी (वादी) ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ग्रामीण परिवेश में रहता है तथा कमाखाने के लिए बाहर चला गया जिस पर प्रतिवादी रामपाल की मृत्यु के बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाने से वह उसके वारिसान की जानकारी समय पर नहीं दे सका, जिससे यह प्रार्थनापत्र विलम्ब से पेश किया है। विलम्ब अवधि को कण्डोन किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थनापत्र भी संलग्न किया है। अतः निवेदन है कि विलम्ब को माफ करा प्रार्थनापत्र O.22 R.4 व 9 व धारा 151 जा०दी० को स्वीकार फरमा वाद अबेटमेण्ट को खारीज फरमावे। बहस में वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया। इस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी को प्रतिवादी रामपाल की मृत्यु की बाबत में जानकारी शुरू से ही थी। मृत्यु की दिनांक से उसके विधिक वारिसान को 90 दिन के भीतर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जिससे भी वादी का वाद स्वतः अबेट हो चुका है वैसे भी	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	वादी के अधिवक्ता को प्रतिवादी रामपाल की मृत्यु होने की सूचना दि० 17-11-2017 को पत्रावली पर देने के बावजूद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं कर 3 वर्ष बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने से वादी का वाद अबेट फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र O.22 R4 व 9 व धारा 151 पर उभयपक्ष की बहस के तथ्यों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व प्रस्तुत वाद के तथ्यों का अध्ययन पर पाया कि वादी ने स्व० रामचन्द्र जी अपने पिता के खातेदारी में से खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है। वर्तमान में वाद वर्णित आराजीयात विरासत से प्रतिवादी खेमराज, रामपाल, संतोष पिता रामचन्द्र के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 से 3 एक ही पिता की संतान है ऐसी स्थिति में अपने भाई रामपाल की मृत्यु की जानकारी वादी को थी। फिर भी प्रतिवादी सं० 1 व 3 के द्वारा प्रतिवादी रामपाल की मृत्यु की जानकारी वादी को दिनांक 17-11-2017 को देने के बावजूद भी सूचना की दिनांक से 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना था परन्तु दिनांक 15/7/21 को कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया जो लगभग 3 वर्ष 9 माह विलम्ब से पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें भी विलम्ब का कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं है। साथ ही प्रतिवादी रामपाल का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है। वादी पैतृक सम्पत्ति में हक चाहता है ऐसी स्थिति में मृतक रामपाल के वारिसान

को रिकॉर्ड पर लिए बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किए जाने से वादी का वाद अबेट किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा